न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 25/2019

उनवान

बापुलाल पिता छगनलाल जाति सेवक उम्र वयस्क निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

-: प्रार्थी

बनाम

(1) अशोक कुमार पिता श्री छगनलाल जाति सेवक उम्र वयस्क निवासी छोटा वाडा लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) कान्तिलाल पिता श्री छगनलाल जाति सेवक उम्र वयस्क निवासी छोटा वाडा लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(3) दीपक कुमार पिता श्री छगनलाल जाति सेवक उम्र वयस्क निवासी छोटा वाडा लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(4) महेश कुमार पिता श्री छगनलाल जाति सेवक उम्र वयस्क निवासी लोहारियातहसील गढी जिला बांसवाडा।

(5) मनीष पिता गौरीशंकर जाति सेवक उम्र वयस्क निवासी खोडन तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(6) हेमन्त पिता गौरीशंकर जाति सेवक उम्र वयस्क निवासी खोडन तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(7) सन्दीप पिता गौरीशंकर जाति सेवक उम्र वयस्क निवासी खोडन तहसील गढीजिला बांसवाडा।

(8) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

-: अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136– भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 04.02.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 01 से 07 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 176 नया 164 पुराना के कुल किता 10 रकबा 0.79 हे0 भूमि वाके गांव छोटा वाडा लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) मे स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व की उक्त कृषि भूमि में लिपिकिय त्रुटी से प्रार्थी का नाम रजनीकान्त अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बापुलाल है। प्रार्थी की नाम से जारी आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता, भामाशाह कार्ड, विद्यालय रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का वास्तविक नाम बापुलाल ही दर्ज रिकार्ड है। उक्त राजस्व त्रुटी की वजह से रेकार्ड में रजनीकान्त अंकित कर देने से प्रार्थी को कई समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से उक्त राजस्व त्रुटी को दुरस्त करना आवश्यक है। प्रार्थी ने राजस्व अधिकारीयों से कई बार निवेदन किया परन्तु राजस्व कर्मचारी ध्यान नही दे रहे है। अप्रार्थी नम्बर 08 राजस्व रेकार्ड का संधारक है और प्रार्थी ने कई बार निवेदन किया परन्तु राजस्व अधिकारीयों द्वारा प्रार्थी के निवेदन पर कोई कार्यवाही नही की गई। अप्रार्थी नम्बर 01 से 07 सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी के खाते के राजस्व रेकार्ड मे हुई त्रुटी को दुरूस्त किया जाने. धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम लोहारिया की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 176 किता 10 रकबा 0.79 हे0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पूर्व में छगनलाल पिता गोविन्दराम सेवक के नाम दर्ज थी, जो नामान्तरकरण संख्या 347 दिनांक 14.8.2000 से विरासत से वादी व प्रतिवादी के नाम दर्ज की गई है। नामान्तरकरण के समय वादी द्वारा जो नाम दर्ज करवाया वो रजनीकान्त पिता छगनलाल सेवक ही दर्ज करवाया गया है। वक्त नामान्तरकरण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

समय से वर्तमान समय तक वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में रजनीकान्त पिता छगनलाल सेवक चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड कें संधारण में किसी प्रकार की त्रुटी नही हुई है। खातेदार रजनीकान्त पिता छगनलाल सेवक का नाम उत्तराधिकारी नामान्तरकरण संख्या 347 दिनांक 14.8.2000 से दर्ज किया गया है। वक्त नामान्तरकरण से वर्तमान रेकार्ड में भी खातेदार का नाम रजनीकान्त पिता छगनलाल सेवक दर्ज रेकार्ड है। रेकार्ड संधारण में किसी प्रकार की त्रुटी नही पायी जाना अवगत कराया।

प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, खाता संख्या 176 (नया) 164 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078, पेन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड आदि की छाया प्रतिया एंव तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूॅचा हैं कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम लोहारिया की खाता संख्या 176 (नई) 164 (पुरानी) के कुल किता 10 रकबा 0.79 हे0 भूमि में दर्ज रजनीकान्त नाम विरासती नामान्तरकरण के समय से चला आ रहा है, प्रार्थी के नाम संशोधन के कम में वादग्रस्त भूमि के सह–,ातेदारान् द्वारा भी अपनी उपस्थिति नही दी गई एंव प्रार्थी के नाम संशोधन के कम में किसी प्रकार का कथन संयुक्त खातेदारान् द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी,गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner